

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(1) राज/वाद/88,पार्ट

जयपुर दिनांक 30/5/19

:: संशोधन आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.12.18 द्वारा श्री महेन्द्र सिंघवी, अधिवक्ता को राज्य के महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया था। उक्त नियुक्ति आदेश में महाधिवक्ता के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए "श्री महेन्द्र सिंघवी" के स्थान पर इनका नाम "श्री महेन्द्र सिंह सिंघवी" पढ़ा जावे।

आज्ञा से,

— ६०

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 राज्यपाल/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 उप मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि/समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर/महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता, प्रशासक वादकरण, गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
9. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
11. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक प्रकाशनार्थ।
13. निदेशक, जनसम्पर्क, जयपुर।
14. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
15. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
16. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
17. संबंधित, महाधिवक्ता, जयपुर।
18. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/लेखा शाखा।
20. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
21. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)  
30/5/19

शासन सचिव, विधि